दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	जो इस आ... पालना में
१३/१२/२२	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक १९/१२/२०२२ को पेश हो।	
१९/१२/२२	अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 02/2016

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. रिछपाल सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 6 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर। 2. प्रीतम सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 6 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर। 3. प्रगट सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी बुर्ज सिद्ववा तहसील मलोट जिला मुक्तसर 4. इकबाल सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी बुर्ज सिद्ववा तहसील मलोट जिला मुक्तसर 5. महेन्द्र कौर पुत्री दरबारा सिंह पत्नी दलीप सिंह जाति महजबी सिख निवासी मूलियावास तहसील व जिला फाज्लिका। 6. सविन्द्र कौर पुत्री दरबारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी मूलियावास तहसील व जिला फाज्लिका। 7. कलवंत कौर पुत्री दरबारा सिंह पत्नी बगीचा सिंह जाति महजबी सिख निवासी मसीरेवाला तहसील धर्मकोट जिला फिरोजपुर। 8. जगीर कौर पुत्री दरबारा सिंह पत्नी दरबारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी मूलियावास तहसील व जिला फाज्लिका। 9. धमेन्द्र सिंह पुत्र बलविन्द्र कौर पुत्री दरबारा सिंह पत्नी भगवत सिंह जाति महजबी सिख निवासी गुरूसर जोधा तहसील मलोट जिला फाजिल्का 10. भगवंत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति महजबी सिख निवासी गुरूसर जोधा तहसील मलोट व जिला फाज्लिका।

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:- 04.01.2016

उपस्थित: 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

2.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

3.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, रामदास सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ता 10

--निर्णय-- **दिनांक : 19.12.2022**

Signature Not Ve
Digitally signed by Su
Chandra
Date: 2023.06.09 14:
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 97/2006 अनवान रिछपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार, अन्तर्गत धारा 88 आरटीए निर्णय दिनांक 09.04.2007 में न्यायालय हाजा के द्वारा वादी रिछपाल सिंह पुत्र दरबारा सिंह को मृतक [illegible] सिंह का द्वितीय श्रेणी का एकमात्र वारिस मानते हुए चक 6 ओ बी की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 65 के खाता संख्या 18/18 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 ता 8 की 1.898 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील पेश की। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकरण इस आदेश के साथ रिमांड किया कि उभयपक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

करने के कारण विधिसम्मत आदेश न होना स्वीकार किया। परीक्षण न्यायालय ने मृतक खातेदार हजारा सिंह की विरास्त के बारे में केवल सरपंच के प्रमाणपत्र को आधार मानकर वाद डिक्री करने में त्रुटि की है, जबकि सरपंच को उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.04.2007 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से प्रकरण रिमांड होने पर प्रकरण नए नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। प्रार्थी प्रीतम सिंह पुत्र प्यारा सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी प्रीतम सिंह को प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया। प्रार्थीगण प्रगट सिंह पुत्र दरबारा सिंह आदि की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के रूप में संयोजित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 6 ओ बी के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 ता 4, 7, 8 प्रत्येक की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक की 0.190 हेक्टैयर कुल 1.898 हेक्टैयर यानि 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि हजारा सिंह की खरीदशुदा भूमि थी, जो उसकी स्वअर्जित भूमि थी। उक्त भूमि की वसीयत हजारा सिंह ने अपने जीवनकाल में मुझ प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 20.05.2002 को रूबरू गवाहान तहरीर करवाकर सरपंच ग्राम पंचायत 3 ओ से तस्दीक करवाकर निष्पादित करवाई थी। उक्त वसीयत की रूह से प्रतिवादी उक्त भूमि का खातेदार मालिक हो चुका है और वसीयत की रूह से उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है और खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार मृतक हजारा सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि बाबत कोई वसीयत नहीं लिख गई है। प्रीतम सिंह द्वारा वसीयत दिनांक 20.05.2002 मृतक हजारा सिंह की फर्जी व कूटरचित तैयार की गई है। जो प्रतिवादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। चक 6 ओ बी के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 ता 4, 7, 8 प्रत्येक की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक की 0.190 हेक्टैयर कुल 1.898 हेक्टैयर यानि 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि हजारा सिंह को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त होने के कारण जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है। मृतक हजारा सिंह लाऔलाद फौत हो जाने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के पिता दरबारा सिंह के हक में उक्त भूमि न्यायगत हो गई थी और उक्त भूमि दरबारा सिंह के हक में होने के कारण वादी एंव प्रतिवादीगण उक्त भूमि में बराबर-बराबर हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है और भूमि अपने-अपने हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या वादी तहसील श्रीकरणपुर के चक 6 ओ बी के खाती संख्या 187 में हजारा सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 ता 8 की 1.898 हेक्टैयर नहरी भूमि का मृतक हजारा सिंह का एकमात्र वैध वारिस होने के कारण खातेदार होने का अधिकारी है, प्राप्त करने का अधिकारी है? -:जिम्मे वादी:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:33
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. आया कि क्या प्रतिवादी प्रीतम सिंह मूल आवंटी मृतक हजारा सिंह की वसीयत दिनांक 20.05.2002 की रूह से खातेदार मालिक घोषित होने का हकदार है? -:जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 :-

2. आया कि क्या वादगत भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 10, वादी के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के हकदार है? -:जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 :-

3. अनुतोष।

वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की। प्रकरण में साक्ष्यवादी व साक्ष्यप्रतिवादीगण बन्द की गई है।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उन पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1 : आया कि क्या वादी तहसील श्रीकरणपुर के चक 6 ओ बी के खाता संख्या 18/18 में हजारा सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 ता 8 की 1.898 हेक्टैयर नहरी भूमि का मृतक हजारा सिंह का एकमात्र वैध वारिस होने के कारण खातेदार होने का अधिकारी है, प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी पेश नहीं की गई है। लिहाजा प्रकरण में साक्ष्यवादी बन्द होने के कारण वादी तनकी संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2: आया कि क्या प्रतिवादी प्रीतम सिंह मूल आवंटी मृतक हजारा सिंह की वसीयत दिनांक 20.05.2002 की रूह से खातेदार मालिक घोषित होने का हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 2 की थी। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं की गई है। लिहाजा प्रकरण में साक्ष्यप्रतिवादी बन्द होने के कारण प्रतिवादी तनकी संख्या 2 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3: आया कि क्या वादगत भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 10, वादी के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 की थी। प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं की गई है। लिहाजा प्रकरण में साक्ष्यप्रतिवादी बन्द होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 तनकी संख्या 3 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not
Digitally signed by
Chandra
Date: 2023.06.09
Reason: SelfAttes

रिछपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए,
प्रकरण संख्या 02/2016

2, अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी व तनकी संख्या 2 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1, तनकी संख्या 3 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 निर्णीत की जा चुकी है। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा इस निर्देश के साथ रिमांड किया है कि पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। हस्तगत प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिए गए परन्तु पक्षकारों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के आधार यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादी वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाकर तहसीदार श्रीकरणपुर को आदेश दिए जाते है कि मृतक हजारा सिंह पुत्र भाग सिंह कौम महजबी सिख निवासी देह खातेदार के नाम दर्ज चक 6 ओ बी, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के खाता संख्या 18/18 की कुल 1.898 हेक्टैयर नहरी भूमि का विरास्तन नामान्तरण, मृतक हजारा सिंह पुत्र भाग सिंह के (द्वितीय श्रेणी के वारिसान की जांच कर) विधिक वारिसान नाम दर्ज किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पर्चा डिक्री एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not
Digitally signed by
Chandra
Date: 2023.06.09
Reason: SelfAttes

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

...अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

रिछपाल सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 02/2016

निर्णय दिनांक :- 19.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, दलजीत सिंह बराड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का काउन्टर क्लेम भली-भांति सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेश दिए जाते है कि मृतक हजारा सिंह पुत्र भाग सिंह कौम महजबी सिख निवासी देह खातेदार के नाम दर्ज चक 6 ओ बी, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के खाता संख्या 18/18 की कुल 1.898 हेक्टैयर नहरी भूमि का विरास्तन नामान्तरण, मृतक हजारा सिंह पुत्र भाग सिंह के (द्वितीय श्रेणी के वारिसान की जांच कर) विधिक वारिसान नाम दर्ज किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
... अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
... वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	04	--
... ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**08**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक ...12.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/624

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not V...
Digitally signed by S...
Chandra
Date: 2023.06.09 1...
Reason: SelfAtteste...